ISO:9001-2008

कार्यालय जिला पंचायत
कानपुर नगर।

मानचित्र अनुभाग

अनुज्ञा/स्वीकृति(संशोधित)

पत्र सं0– 08(R)/नि0/मा0अनु0/जि0पं0 दिनांकः 26/10/2017

मे0 तारा होम्स फेस–2,
14/116 सी–1 सिविल लाइन्स,
कानपुर नगर

विषयः– आवासीय एवं वाणिज्य भवन/गाटा सं0 45 ग्राम रौतारा रमईपुर विकास खण्ड विधनू तहसील कानपुर सदर मानचित्र संशोधन स्वीकृत के संबध में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक आवासीय प्लाटिंग भूखण्ड पर आवासीय भवन हेतु गाटा सं0 45 ग्राम रौतारा रमईपुर विकास खण्ड विधनू तहसील कानपुर सदर जिला, कानपुर सदर का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर जिला पंचायत कानपुर नगर की उपविधि गजट प्रकाशन संख्या खण्ड 69/संख्या–22/भाग–3–14 ध(73–81) दिनांक 30.05.2015 के अनुमोदन के क्रम में निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख असत्य भ्रामक एवं वास्तविक न पाये जाने पर जिला पंचायत द्वारा दी गयी मानचित्रों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिन से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
4. प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माणधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण किया जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
5. जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सीवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
6. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 7 यथावत लागू रहेंगे।
7. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवासीय एवं वाणिज्य भवन कार्य कुल कवर्ड एरिया 2830.98 वर्गमी0 में ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र की अवधि तीन वर्ष दिनांक 25.10.2017 से 25.10.2020 तक होगी।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र की अवधि तीन वर्ष के पश्चात् कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः–2

10. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्द्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत कानपुर नगर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
12. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. प्रतिबन्ध रहेगा कि भवनों की स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड (2005) की सुरक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।
14. स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण कार्य से पूर्व नियमानुसार अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों का पालन करते हुये मुख्य अग्निशमन अधिकारी से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तदुपरान्त ही मानचित्र के सापेक्ष आवेदक निर्माण कार्य करा सकेगा।
15. भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
16. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर उक्त विषयक निर्गत उच्चादेश एवं शासनादेश आवेदक (मानचित्र स्वामी) पर स्वतः प्रभावी होंगे।
17. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत कानपुर नगर उत्तरदायी नहीं होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर

पत्र सं0– /नि0/मा0अनु0/जि0पं0 दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ।
3. अवर अभियन्ता जिला पंचायत कानपुर नगर को इस आशय के साथ की उक्त स्वीकृति पत्र के सापेक्ष ही निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर